संख्या-46/2023/I/382297/002-71-4099-1745-2019

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2023**

विषयः- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत अर्बन डेवलपमेंट मास्टर प्लान कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2116/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/अनु०(35)/2023-24, दिनांक-26-08-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत अर्बन डेवलपमेंट मास्टर प्लान कार्य हेतु स्वीकृत लागत रु० 6732.06 लाख के सापेक्ष 10 प्रतिशत अर्थात रु० 673.20 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210-03-789-29-रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सैफई, इटावा मानक मद 24-वृहद् निर्माण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु० 3711.75 लाख के सापेक्ष **रु० 273.20 लाख (रुपये दो करोड़ तिहत्तर लाख बीस हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलसचिव/कार्यदायी संस्था की होगी।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को डाक घर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
5. शासनादेश संख्या-83/2020/2164/71-4-2020-एस-63/2015 दिनांक-22.12.2020 में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. शासनादेश संख्या-68/2016/2178/71-2-16- एस-63/2015 दिनांक-24.05.2016 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,73,20,000 (रुपये दो करोड़ तिहत्तर लाख बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037892900 रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइस एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

संख्या व दिनांक यथोक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
6- प्रबन्ध् निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0,लखनऊ।
7- **प्रोजेक्ट मैनेजर**, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, सोडिक इकाई-2, सैफई, इटावा।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10-नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।